न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या–602/18

आशिक अली–––बनाम––––मासूक अली

निस्तारण अमीन रिपोर्ट कागज सं०– 19 ग 2

दिनांक–25.08.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण अमीन रिपोर्ट कागज सं०–19 ग 2 पेश है। वादी द्वारा अमीन रिपोर्ट कागज सं०–19 ग 2 पर आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

प्रतिवादी द्वारा अमीन रिपोर्ट कागज संख्या 19 ग 2 के विरूद्ध आपत्ति कागज संख्या 26 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अमीन महोदय ने विवादित भूमि को ग्राम दौलतपुर काजी परगना व तहसील टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर में बताया हो जो सर्वथा असत्य है। ग्राम दौलतपुर काजी में पक्षकारो का पुराना पुश्तैनी मकान स्थित है जिसका बंटवारा अभी नहीं हुआ है। अमीन महोदय ने विवादित भूमि की दक्षिणी चौहद्दी नहीं दिया है। उपरोक्त के प्रकाश में कमीशन रिपोर्ट मय मानचित्र कागज संख्या 19 ग 2 खारिज करने की याचना प्रतिवादी द्वारा की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी द्वारा अमीन रिपोर्ट के विरूद्ध जो आपत्ति की गयी है वह तथ्य से संबंधित है जिसके लिये अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता होगी। वादी द्वारा अमीन रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अमीन रिपोर्ट का निस्तारण वाद के अन्तिम निस्तारण के समय किया जाना उचित होगा। तदनुसार अमीन रिपोर्ट कागज संख्या 19 ग 2 आपत्ति के प्रकाश में साक्ष्य के अधीन पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अमीन रिपोर्ट कागज सं० 19 ग 2 आपत्ति के प्रकाश में साक्ष्याधीन पुष्ट किया जाता है। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र कागज संख्या 7 ग 2 दिनांक–02.09.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2520